

!! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 में जारी विज्ञापन के अनुक्रम में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के तहत मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय (जैसे- बैगा, सहरिया/सहारिया एवं भारिया) अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिये आपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न हार्ड-कॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप 3 में) आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उनके मूल दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत एवं समिति द्वारा की गई अनुसंधानानुसार निम्न अभ्यर्थी की नियुक्ति बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सहायक ग्रेड-03 के विरुद्ध वेतनमान रुपये-5200-20200+1900 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रुपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर स्वाशासी बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

सहायक ग्रेड- 03			
स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1.	चन्दन दास बैगा पिता- श्री गोविन्द प्रसाद बैगा	ग्राम पंचायत पहड़िया पोस्ट अमिलिहा तहसील पाली जिला-उमरिया म.प्र.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (ओपन)

नियुक्ति की शर्तें:-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- स्वयं के व्यय पर स्वाशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
- परीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टाइपेंड के रूप में देय होगी।
- आपकी सेवार्य किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018 के अधीन शासित होंगे।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी।

11. नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
13. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
14. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत् न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
16. किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
17. आपके कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक 03 माह में किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
18. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
19. म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एसमा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
20. चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)
शहडोल, दिनांक/...../2023

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2023/.....

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
5. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
6. महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
8. स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
9. संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-Mail:- deanshahdol@gmail.com

Website:- WWW.GMCSHAHDOL.ORG

कमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2023/.....

शहडोल, दिनांक/....../2023

!! आदेश !!

“मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा समूह-4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्रलेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती व सीधी भर्ती-बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा- 2023 में जारी विज्ञापन के अनुक्रम में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार तथा परिपत्र क्रमांक 796/982/2012/आप्र/एक दिनांक 26.06.2012 के तहत मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय (जैसे- बैगा, सहरिया/सहारिया एवं भारिया) अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिये आपने आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न हार्ड-कॉपी में निर्धारित (नियम पुस्तिका के प्रारूप 3 में) आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उनके मूल दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत एवं समिति द्वारा की गई अनुसंधानानुसार निम्न अभ्यर्थी की नियुक्ति बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सहायक ग्रेड-03 के विरुद्ध वेतनमान रुपये-5200-20200+1900 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-4 में न्यूनतम वेतन रुपये-19500/- प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर स्वाशासी बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

सहायक ग्रेड- 03			
स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1.	चन्दन दास बैगा पिता- श्री गोविन्द प्रसाद बैगा	ग्राम पंचायत पहड़िया पोस्ट अमिलिहा तहसील पाली जिला-उमरिया म.प्र.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (ओपन)

नियुक्ति की शर्तें:-

- आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
- स्वयं के व्यय पर स्वाशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
- परीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टाइपेंड के रूप में देय होगी।
- आपकी सेवार्य किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।
- इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
- नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018 के अधीन शासित होंगे।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवार्य समाप्त की जा सकेगी।

11. नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
13. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती हैं।
14. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
16. किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
17. आपके कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक 03 माह में किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
18. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
19. म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
20. चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/स्था.अराज/शा.चि.म.वि./2023/918-926

शहडोल, दिनांक 27/01/2023

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
5. कलेक्टर जिला शहडोल म.प्र.।
6. महालेखाकर, ग्वालियर म.प्र.।
7. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
8. स्थानीय लेखा-शाखा, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
9. संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु04/ ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा। सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)